(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTEE, EXTRA ORDINARY)

Government of National Capital Territory of Delhi
Land and Building Department
(Planning Branch)
D-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate
New Delhi- 110002.

Dated 16/06/2017

NOTIFICATION

No.F.12(152)/2014/L&B/MP/PLG/ 2571 .- In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with the Government of India, Ministry of Health, Family Planning and Urban Development notification No.18011 (28)/67-UD dated the **14th** February, 1969, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby declares the following area described in the Schedule given below to be a "Development Area" for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Development Area No.	Name of Zone/Village	Description of Area
1	2	3	4
1.	5/2015	Area falling under village **Neb Sarai in** Zone "J"	Area falling under village **Neb Sarai** excluding the following area mentioned in clauses (i) to (xi) namely:- (i) Land/villages notified under green belt; (ii) Built up abadi areas; (iii) Notified extended laldora abadi of villages; (iv) Land under acquisition proceedings; (v) Land under unauthorized colonies proposed for regularization by the Government, as on the date of issue of this notification; (vi) Land where Delhi Development Authority or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other Government agency as on the date of issue of this notification; (vii) Land under notified forests / Regional parks ; (viii) Gram Sabha land transferred to Revenue Department; (ix) Central Government and other Government land (including use undetermined); (x) Land under any other Scheme of Govt. for which change of land use is under process under section 11A of the said Act as on the date of issue of this notification; and (xi) Pre-existing institutions which are under consideration for regularization.

By orders and in the name of **Lt.** Governor,
National Capital Territory of Delhi.

16/6/17

(ALOK SHARMA)
Deputy Secretary (L&B)
Govt. of N.C.T.,Delhi.

No.12(152)/2014/L&B/MP/PLG **Dated:**

Copy forwarded to:-

1. General Administration Department. GNCTD (in duplicate) for favour of publication in Delhi Gazette.
2. Secretary to the Government of India, Ministry of Health and Family Planning & Works & Housing & Urban Development (Department of UD)New Delhi (with 4 spare copies)
3. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadar., INA, New Delhi.
4. Commissioner, South Municipal Corporation of Delhi.
5. Commissioner, North Municipal Corporation of Delhi.
6. Executive Officer (Impl.), DDA, Vikas Minar, New Delhi (with 5 spare copies.
7. Engineer Member, DDA, New Delhi.
8. Chief Town Planner, South Municipal Corporation of Delhi. Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
9. Chief Town Planner, North Municipal Corporation of Delhi, E-Block, 13th Floor, Civic Centre, Minto Road, New Delhi-110002.
10. Addl. Secretary (L&B), GNCTD, L&B Deptt. , New Delhi-110002.
11. In-charge(Computer Cell), L&B Deptt. , New Delhi-110002 with the request to update the entry on the website.
12. Central Record Room,L&B Department.
13. Legal Adviser,L&B Department.

16/4/12

(ALOK SHARMA)
Deputy Secretary (L&B)
Govt. of N.C.T., Delhi.

(दिल्ली सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग–4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

भूमि एवं भवन विभाग

(योजना शाखा)

डी–ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–02

दिनांक : 16/06/2017

अधिसूचना

सं.एफ.12(162)/2014/भू.व.भ./एम.पी./योजना/2571 .– स्वास्थ्य परिवार नियोजन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 18011(28)/67–यू.डी. दिनांक 14 फरवरी, 1969 के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1967 (1957 की 61) की धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप राज्यपाल एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित क्षेत्र उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु विकास क्षेत्र होगा :–

अनुसूची

क्र.सं.	विकास क्षेत्र सं0	जोन का नाम	क्षेत्र का विवरण
1	2	3	4
1	5/2015	जोन 'जे' में गाँव नेब सराय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र	खण्ड (i) से (xi) में उल्लेखित निम्नलिखित क्षेत्र को छोड़कर नेब सराय गाँव के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र: (i) हरित पट्टी के अंतर्गत अधिसूचित भूमि/गाँव; (ii) निर्मित आबादी क्षेत्र ; (iii) गाँवों की अधिसूचित लालडोरा आबादी ; (iv) अधिग्रहण की कार्यवाही के अंतर्गत जमीन ; (v) इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक , सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए प्रस्तावित अनधिकृत कॉलोनियों के अधीन भूमि ; (vi) भूमि जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापत्ति पत्र जारी किया है या जहां किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा इस योजना के लिए मंजूरी दे दी है इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख तक; (vii) अधिसूचित जंगलों के तहत भूमि/क्षेत्रीय पार्क; (viii) राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई ग्राम सभा की भूमि; (ix) केन्द्रीय सरकार की भूमि और अन्य सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग सहित); (x) सरकार की किसी अन्य योजना के तहत भूमि जिसके लिए इस अधिसूचना जारी करने की तिथि तक उक्त अधिनियम की धारा 11 ए के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है ; एवम् (xi) पूर्व-मौजूदा संस्थान जो नियमितीकरण के लिए विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से

एवम् उनके नाम पर,

16/6/17

(आलोक शर्मा)

उप–सचिव(भूमि एवं भवन)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं.एफ.12(152)/2014/भू.व.भ./एम.पी./योजना/.........   दिनांक

प्रति प्रेषित:

1. सामान्य प्रशासनिक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (दो प्रतियाँ में) दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
2. भारत सरकार के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन एवं निर्माण और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) नई दिल्ली (4 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
3. उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा., विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली
4. आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम।
5. आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम।
6. कार्यकारी अधिकारी (कार्यान्वयन),दि.वि.प्रा., विकास मीनार, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7. अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा., दिल्ली।
8. मुख्य नगर नियोजक,दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002
9. मुख्य नगर नियोजक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, ई–ब्लॉक, 13वी मंजिल, सिविक सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002।
10. अतिरिक्त सचिव(भूमि एवं भवन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भूमि एवं भवन विभाग, नई दिल्ली 110002
11. प्रभारी (कम्प्यूटर शाखा) भूमि एवं भवन की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।
12. केन्द्रीय रिकार्ड रूम, भूमि एवं भवन विभाग।
13. कानूनी सलाहकार, भूमि एवं भवन विभाग।

16/6/17

(आलोक शर्मा)
उप सचिव(भूमि एवं भवन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार